

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)
राजस्व लोक अदालत मुकाम बैरा तहसील बनेड़ा
पीठासीन अधिकारी – श्री रतन लाल रेगर (आर.ए.एस.)

प्र0स0 – 86/17

उनवान

1. नाथु पिता कल्याण ब्राहमण निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. सांवरा पिता कल्याण ब्राहमण निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. मन्जू पुत्री कल्याण ब्राहमण निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा

_____ (प्रार्थीगण)

बनाम

1. शंकर पिता पन्ना शर्मा निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
2. जस्सुराम पिता रामलाल शर्मा निवासी बैरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
3. बालु पिता पेमा कुकड (गुर्जर) निवासी जसवन्तपुरा तहसील बनेड़ा जिला-भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

_____ (अप्रार्थीगण)

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128, रा0भू0अधिनियम 1956 बाबत पत्थरगढ़ी कराने के।

:: निर्णय ::

दिनांक – 29.06.2017

वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय में दिनांक 26.05.2017 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम बैरा पटवार मण्डल बैरा भू0अ0नि0 बैरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 225 के आ0न0 245, 247, 325, 334, 436, 1469, 2604/334 कुल किता 7 कुल रकबा 9-00 बीघा, स्थित हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिससे वादी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय में दिनांक 26.05.2017 पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। प्रकरण को राजस्व लोक अदालत 2017 कम्प बैरा में दिनांक 29.06.2017 के लिए पंजीबद्ध किया गया। प्रकरण में औपचारिक पक्षकार राज्य पक्ष तहसीलदार बनेड़ा जरिये हल्का पटवारी बैरा से शिविर के दौरान रिपोर्ट प्राप्त की जाकर रिकार्ड पर ली गई। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर गौर किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि है और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का हकदार है। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में लोक अदालत की भावना को मध्य नजर रखते हुए स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।

:: आदेश ::

प्रार्थीगण का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम बैरा पटवार मण्डल बैरा भू0अ0नि0 बैरा तहसील बनेड़ा में उसके खाते की कृषि भूमि खाता संख्या 225 के आ0न0 245, 247, 325, 334, 436, 1469, 2604/334 कुल किता 7 कुल रकबा 9-00 बीघा, भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक बैरा को 900/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढ़ी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर खड़ी फसल के दौरान पत्थरगढ़ी नहीं की जावे। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढ़ी की जावे। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढ़ी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकें अपना अपना वहन करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.06.2017 को राजस्व लोक अदालत कम्प मुकाम बैरा में खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

दिनांक: 29.06.2017

क्रमांक/प्रकरण संख्या/ 86/2017

प्रतिलिपि:-

तहसीलदार, बनेड़ा को पालनार्थ प्रेषित हो ।


(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी,
बनेड़ा जिला भीलवाड़ा